

303
346

संचिका संख्या-21 / सू.अ.(विविध)-4 / 2021सा.प्र. 11725 /
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 4-10-2021

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 का क्रियान्वयन सभी लोक प्राधिकारों द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक 6279 दिनांक 01.07.2009 तथा अनुवर्ती विभिन्न स्मार पत्रों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के क्रियान्वयन एवं सभी विभागीय आदेश/आवश्यक कागजात को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं उन्हें प्रत्येक वर्ष अद्यतन कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अभी भी ये सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि विभिन्न विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4 का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के क्रियान्वयन एवं सभी विभागीय आदेश/आवश्यक कागजात को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं उन्हें प्रत्येक वर्ष अद्यतन कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थों को समुचित निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव